"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 335] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 जून 2021 — ज्येष्ठ 28, शक 1943

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग

निर्वाचन भवन, नार्थ ब्लाक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-43-10/तीन(दो)/न.पा./व्यय लेखा/2019-20/1165 रायपुर, दिनांक 9 जून 2021

पुरूषोत्तम सिंह राठौर, अभ्यर्थी पार्षद पद आम निर्वाचन माह दिसम्बर 2019-जनवरी 2020, नगर पंचायत सारागांव, जिला-जांजगीर-चांपा, (छ.ग.)

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अन्तर्गत)

पारित दिनांक 9 जून, 2021.

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जांजगीर-चांपा के प्रतिवेदन दिनांक 29-01- 2020 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम, 1961 (एतत्पश्चात संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगर पंचायत सारागांव, जिला जांजगीर-चांपा के दिसम्बर -2019-जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन में वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद पद के लिये निर्वाचन लड़े अभ्यर्थियों में अभ्यर्थी पुरूषोत्तम सिंह राठौर भी सम्मिलित थे. निर्वाचन परिणाम 24 दिसम्बर 2019 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जांजगीर-चांपा ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रेषित की कि नगर पंचायत सारागांव, जिला जांजगीर-चांपा के आम निर्वाचन दिसम्बर 2019-जनवरी 2020 में वार्ड क्रमांक-13 के पार्षद पद के अभ्यर्थियों में से अभ्यर्थी पुरूषोत्तम सिंह राठौर द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 24 दिसम्बर 2019 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जांजगीर-चांपा के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त अभ्यर्थी पुरूषोत्तम सिंह राठौर को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना दिनांक 4-5-2020 को जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थी को दिनांक 24-6-2020 को तामील की गई.

4. अभ्यर्थी पुरूषोत्तम सिंह राठौर द्वारा कारण बताओ सूचना प्राप्ति के उपरान्त कारण बताओ सूचना की प्रति मय निर्वाचन व्यय लेखा डाक द्वारा बिना किसी पत्र/आवेदन के आयोग को प्रेषित की गई. इस पर आयोग द्वारा पत्र दिनांक 28-8-2020 द्वारा अभ्यर्थी को विधिवत लिखित जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया. अभ्यर्थी का प्रत्युत्तर आयोग में प्राप्त न होने पर पुन: अवसर प्रदान करते हुए आयोग के सूचना-पत्र दिनांक 08 फरवरी 2021 द्वारा लिखित जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया जिसके सन्दर्भ में अभ्यर्थी द्वारा डाक के माध्यम से बिना हस्ताक्षर एवं दिनांक का पत्र प्रेषित किया गया जो आयोग कार्यालय में दिनांक 2 मार्च 2021 को प्राप्त हुआ जिसमें लेख किया गया कि वे स्वास्थ्य खराब होने के कारण स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ है अत: डाक से पूर्व में भेजे गये स्पष्टीकरण एवं व्यय विवरण को स्वीकार किया जाये जबकि व्यय लेखा विहित रीति में निर्धारित समयावधि के अन्दर अधिसूचित अधिकारी को प्रस्तुत नहीं करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण/आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. इस पर आयोग के सूचना-पत्र दिनांक 09 मार्च 2021 द्वारा अभ्यर्थी को विधिवत लिखित जवाब/अभ्यावेदन 15 दिवस के अन्दर प्रस्तुत करने हेतु पुन: लिखा गया जिसके सन्दर्भ में अभ्यर्थी द्वारा डाक द्वारा आवेदन मय पूर्व की डाक-पर्ची की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित किया गया जो आयोग कार्यालय में 6 अप्रैल 2021 को प्राप्त हुआ जिसमें अभ्यर्थी द्वारा लेख किया गया कि उनके द्वारा पूर्व में आयोग के अधिकृत अधिकारी के समक्ष विहित अवधि में अपेक्षानुसार निर्वाचन व्ययों का लेखा संधारित कर प्रस्तुत किया जा चुका है परन्तु इस बाबत् आयोग द्वारा उन्हें बार-बार कारण बताओ नोटिस भेजकर मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है.

5. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जांजगीर-चांपा द्वारा दिनांक 29-01-2020 को परिशिष्ट-तिरपनमें जानकारी प्रस्तुत कर प्रतिवेदित किया गया कि नगर पंचायत सारागांव, जिला जांजगीर-चांपा के वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद पद के अभ्यर्थी पुरूषोत्तम सिंह राठौर ने निर्वाचन व्यय लेखा आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास विहित रीति में निर्धारित समयावधि के भीतर प्रस्तुत नहीं किया. यह अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं धारा 32-ख का उल्लंघन है. अधिनियम की धारा 32-क (1) एवं 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय लेखा, निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7 (1) के तहत राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नामोद्दिष्ट अधिसूचित अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दिनांक 23 जनवरी 2020 तक अनिवार्यत: प्रस्तुत करना था. अधिनियम की धारा 32-क (1), 32-क (3) एवं उसके अनुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7 तथा धारा 32-ख क्रमश: निम्नानुसार है:-

"**धारा 32-क. (1) पार्षद के निर्वाचन में निर्वाचन व्ययों का लेखा-** प्रत्येक अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उपगत उस सब व्यय का जो, उस तारीख के जिसको वह नामनिर्दिष्ट किया गया है और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के, जिनके अन्तर्गत ये दोनों तारीखें आती है, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, पृथक् और सही लेखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवायेगा."

"**धारा 32-क. (3)** व्यय के लेखे में ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी जैसी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा विहित की जायें."

इसी के अनुक्रम में निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7 इस प्रकार है -

"7. **निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल किया जाना-**

(1) निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका निर्वाचन अभिकर्ता, अधिनियम में विनिर्दिष्ट समय अर्थात् निर्वाचन की तारीख से 30 (तीस) दिन के अन्दर निर्वाचन व्ययों का लेखा, जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

(2) निर्वाचन व्ययों का लेखा, निम्नलिखित दस्तावेजों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :-

(क) कंडिका 4 में संदर्भित निर्वाचन व्यय का दिन-प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर, मूल रूप में,

(ख) निर्वाचन व्ययों के लेखा रजिस्टर "प्रोफार्मा-क" में दर्ज प्रविष्टियों से संबंधित व्हाउचर, और

(ग) कंडिका 6 में संदर्भित निर्वाचन व्ययों का सार विवरण.

(3) निर्वाचन व्ययों का दिन-प्रतिदिन का लेखा रजिस्टर और निर्वाचन व्ययों का सार विवरण अभ्यर्थी के निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किए गए हैं, तो उन्हें दाखिल किए जाने के पहले, अभ्यर्थी द्वारा अधिप्रमाणित और प्रतिहस्ताक्षरित किया जाएगा और उसके द्वारा वाउचर भी प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे.

(4) निर्वाचन व्ययों के सार के साथ प्रोफार्मा-ग में अभ्यर्थी द्वारा एक शपथ-पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा और ऐसे शपथ-पत्र के बिना लेखा पूर्ण नहीं माना जाएगा."

अर्थात् अधिनियम की धारा 32-क (1), 32-क (3) एवं उसके अनुक्रम में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 7 अपेक्षानुसार प्रत्येक अभ्यर्थी उसकी नामनिर्दिष्ट की तारीख से निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि तक के दिन-प्रतिदिन के निर्वाचन व्ययों का लेखा स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा पृथक और सही लेखा रखेगा/रखवायेगा तथा उसे निर्वाचन परिणाम की घोषणा के पश्चात् निर्धारित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा सार-विवरण मय शपथ-पत्र अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है.

"**धारा 32-ख. निर्वाचन व्यय के लेखे को दाखिल किया जाना-** पार्षद के निर्वाचन में का प्रत्येक निर्वाचन लड़ने वाला अभ्यर्थी निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा, जो उस लेखा की सही प्रति होगी जिसे उसने या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने धारा 32-क के अधीन रखा है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास, दाखिल करेगा."

अर्थात् अधिनियम की धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा तिथि से 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल किया जाना अनिवार्य है. निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण एवं प्रस्तुति) आदेश 2019 की कंडिका 07 के तहत जिला निर्वाचन अधिकारी की अधिसूचित अधिकारी नामोदि्दष्ट किया गया है.

6. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका), जांजगीर-चांपा के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगर पंचायत सारागांव, जिला जांजगीर-चांपा के दिसम्बर 2019-जनवरी 2020 में सम्पन्न आम निर्वाचन में वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद पद की अभ्यर्थी पुरूषोत्तम सिंह राठौर ने अधिनियम की धारा 32-क (1) तथा धारा 32-ख की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा अधिसूचित अधिकारी के पास निर्धारित अवधि में विहित रीति से दाखिल नहीं किया. तत्संबंध में अभ्यर्थी को जारी कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा मय कारण बताओ सूचना की छायाप्रति के बिना किसी पत्र/आवेदन के भारतीय डाक सेवा द्वारा आयोग को प्रेषित किया गया. इस पर आयोग द्वारा अभ्यर्थी को पृथक-पृथक दिनांक को पत्र/सूचना पत्र जारी कर निर्वाचन व्यय लेखा विहित रीति में निर्धारित समयावधि के अन्दर अधिसूचित अधिकारी को प्रस्तुत न करने के संबंध में स्पष्टीकरण संबंधी लिखित जवाब/अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किये गये परन्तु अभ्यर्थी द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत न कर डाक द्वारा प्रेषित अपने जवाब जो दिनांक 6 अप्रेल 2021 को आयोग में प्राप्त, में लेख किया गया कि उनके द्वारा पूर्व में आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष विहित अवधि में अपेक्षानुसार निर्वाचन व्ययों का लेखा संधारित कर प्रस्तुत किया जा चुका है. जबकि इसके समर्थन में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया है. यहां तक कि अभ्यर्थी ने कारण बताओ सूचना के संबंध में अपना स्पष्टीकरण लिखित जवाब/अभ्यावेदन द्वारा प्रस्तुत करने में भी कोई रूचि अथवा गंभीरता नहीं दर्शायी है. अत: मुझे यह समाधान हो गया है कि अभ्यर्थी पुरूषोत्तम सिंह राठौर प्रश्नाधीन निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर अधिनियम के अधीन अपेक्षित रीति में आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में असफल रहे हैं तथा वे इस असफलता के लिये कोई उपयुक्त कारण या न्यायोचित्यता नहीं रखते हैं. तदनुसार अधिनियम की धारा 32-ग के प्रावधान अनुसार अभ्यर्थी पुरूषोत्तम सिंह राठौर को निर्वाचन व्ययों का लेखा निर्धारित समयावधि के भीतर विहित रीति से विधि की अपेक्षानुसार दाखिल करने में असफल रहने के कारण तथा धारा 32-ग (ख) में वर्णित कोई यथोचित कारण नहीं रखने के कारण इस आदेश की तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिये इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का पार्षद होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाता है. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कराया जाए.

7. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 9 जून, 2021 को जारी किया गया.

हस्ता./-
(ठाकुर राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर अटल नगर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2021.